मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2014 सत्र

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 की दैनिक कार्यसूची की अनुपूरक कार्यसूची

कार्यसूची के पद 1 "प्रश्नोत्तर" के पश्चात् क्रमांक 2 "पत्रों का पटल पर रखा जाना" में उप पद (1) एवं (2) को निम्नानुसार जोड़कर कार्य सूची को पुनर्क्रमांकित कर पढ़ा जाये :-

(1) **श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -**

(क) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन क्रमांक -2,

(ग)भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन क्रमांक 4, तथा

(ड.) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री लालसिंह आर्य, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन**, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा -4 की अपेक्षानुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अन्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में सिंध नदी पार करते समय यात्रियों के बह जाने की घटित घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 21 मार्च, 2007 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति , श्री सुशील कुमार पाण्डेय, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे।

कार्यसूची के पद 8 "शासकीय विधि विषयक कार्य" के उपपद क्रमांक (8) के पश्चात् उपपद क्रमांक (9) को निम्नानुसार जोड़कर पढ़ा जाये :-

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2014